Daily UPSC Current Affairs 25/08/2021

ऑपरेशन देवी शक्ति

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन एवं IR, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- भारत का जटिल मिशन जो पिछले सप्ताह तालिबान द्वारा काबुल पर तेजी से कब्जे के बाद अपने नागरिकों और अफगान साझीदारों को वहां से निकालने के लिए चलाया जा रहा है, का नामकरण **"ऑपरेशन देवी शक्ति"** किया गया है।

खबरों में और भी है

- भारत ने जटिल निकासी मिशन की शुरुआत अफगान राजधानी काबुल पर तालिबान द्वारा कब्जे के एक दिन बाद 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली 40 भारतीयों को हवाई मार्ग से लाकर किया था।

अन्य नागरिक बचाव मिशन:

खाड़ी से निकासी (1990-91)

- भारत का 1990-91 के खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से नागरिकों का निकासी मिशन।
- वंदे भारत मिशन तक, यह हवाई मार्ग द्वारा नागरिकों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निकासी अभियान था।
- लगभग 1,77,000 भारतीय युद्ध के बीच में फंस गए थे जिससे लाखों विस्थापित हो गए और काफी लोग मर गए।

वंदे भारत मिशन (VBM)

- यह कोरोनावायरस की वजह से लगे यात्रा प्रतिबंधों के बीच में विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने का सबसे बड़ा नागरिक निकासी अभियान था।
- इसने अपने 10 चरणों में दोनों ही- देश में आने वाले और देश से बाहर जाने वाले लगभग 32 लाख यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पहुँचाया।

ऑपरेशन समुद्र सेतु

- भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु नामक कार्यक्रम के द्वारा निकासी के पहले चरण के दौरान दो समुद्री जहाजों में लगभग 2 हजार भारतीयों को वापस लाया गया।
- INS जलाश्व और INS मगर को विदेशी तटों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयास के हिस्से के रूप में संचालित किया जा रहा है।

ऑपरेशन राहत

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- इसे भारतीय सैन्य बलों ने 2015 के यमन संकट के दौरान 4,640 भारतीय नागरिकों और 41 देशों के 960 विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए चलाया था।
- निकासी को समुद्र और वायु मार्ग दोनों के द्वारा किया गया।

ऑपरेशन मैत्री

- यह बचाव और राहत ऑपरेशन अप्रैल 2015 के नेपाल भूकंप के बाद भारतीय सरकार और भारतीय सैन्य बलों द्वारा चलाया गया था।
- भारतीय सैन्य बलों ने लगभग 5,188 व्यक्तियों को निकाला जबकि लगभग 785 विदेशी पर्यटकों को ट्रांजिट वीज़ा प्रदान किए गए।

ऑपरेशन सेफ होमकमिंग

- इसे 26 फरवरी 2011 को भारत सरकार द्वारा लीबियाई गृहयुद्ध से भाग रहे अपने नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया गया था।
- वायु-समुद्र ऑपरेशन भारतीय नौसेना और एयर इंडिया द्वारा चलाया गया। लगभग 15,000 नागरिकों को ऑपरेशन के द्वारा बचाया गया।

ऑपरेशन सुकून

- यह एक ऑपरेशन था जिसे भारतीय नौसेना ने 2006 के लेबनानी युद्ध के दौरान संघर्ष के क्षेत्र से भारतीय, श्रीलंकाई और नेपाली नागरिकों को निकालने के लिए किया गया था।
- यह भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित किए गए सबसे बड़े निकासी अभियानों में से एक था जिसमें कुल 2,280 लोगों को निकाला गया।

जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत-PIB)

खबरों में क्यों है?

- जन शिक्षण संस्थान (JSS) जो केंद्र सरकार की ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए एक पहल है, ने केरल में नीलांबुर जंगल के अंदरूनी इलाकों के कुछ सबसे दूर वाली आदिवासी झोपड़ियों में उच्च गति का इंटरनेट पहुँचाया है।

जन शिक्षण संस्थान (JSS) योजना के बारे में जानकारी:

- पूर्व में यह योजना श्रमिक विद्यापीठ योजना कहलाती थी जिसे 1967 में लागू किया गया था और इसे 2000 में नया नाम जन शिक्षण संस्थान दिया गया।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

नोडल मंत्रालय

- 2018 में इस योजना को शिक्षा मंत्रालय से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया।

क्रियान्वयन

- इस योजना का क्रियान्वयन NGOs द्वारा किया जा रहा है जिसमें भारत सरकार से 100% अनुदान है।

शासनदेश

- 15-45 आयु वर्ग वाले गैर-साक्षर, नव्य साक्षर लोगों को गैर औपचारिक तरीके से व्यावसायिक कौशल देना जिनकी शिक्षा का स्तर 8वीं तक और 12वीं कक्षा के बाद विद्यालय छोड़ने का है।

प्राथमिकता वाले समूह

- इसमें प्राथमिकता वाले समूह महिलाएं, SC, ST, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग हैं।

भारत में कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस)

खबरों में क्यों है?

- हाल में, केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सदस्य नारायण राणे के खिलाफ रायगढ़ में एक भाषण के संबंध में, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोला था, तीन प्राथमिकियां दर्ज हो गईं।

भारत में किसी कैबिनेट मंत्री को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी

- यदि संसद सत्र नहीं चल रहा है तो किसी कैबिनेट मंत्री को कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने पर गिरफ्तार किया जा सकता है।
- हालांकि राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम के अनुच्छेद 22A के अनुसार, पुलिस, न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट को एक उपयुक्त रूप में गिरफ्तारी के कारण, नजरबंदी के स्थान अथवा कारावास के बारे में राज्यसभा के अध्यक्ष को सूचित करना होगा।

गिरफ्तारी के मामले में राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया का अनुपालन

- यदि सत्र चल रहा है तो अध्यक्ष द्वारा सदन को गिरफ्तारी के बारे में सूचना देने की अपेक्षा की जाती है। यदि सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो सदस्यों की सूचना के लिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह बुलेटिन में इसे प्रकाशित करवाएगा।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

गिरफ्तारी के संबंध में राज्यसभा सदस्यों के विशेषाधिकार

- **संसद के मुख्य विशेषाधिकार** के अनुसार, दीवानी मामलों में, उन्हें सदन के चलने के दौरान, सदन के शुरू होने के 40 दिन पूर्व और इसकी समाप्ति के 40 दिनों बाद तक गिरफ्तारी से छूट रहती है। यह **नागरिक प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 135 के अनुसार है।**
- गिरफ्तारी से छूट के विशेषाधिकार के दायरे में आपराधिक मामले अथवा निवारक नजरबंदी के अंतर्गत नजरबंदी के मामले नहीं आते हैं।

क्या किसी व्यक्ति को सदन के परिसर से गिरफ्तार किया जा सकता है?

- कोई भी गिरफ्तारी चाहे वह सदस्य की हो अथवा किसी अंजान व्यक्ति की, बिना अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के सदन के परिसर से नहीं की जा सकती है और ऐसा होने पर **इस संबंध में गृह मंत्रालय** द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है।
- इसी तरह से, चाहे सदन का सत्र चल रहा हो अथवा नहीं बिना अध्यक्ष की पूर्व अनुमति प्राप्त किए हुए सदन के परिसर के अंदर किसी भी कानूनी प्रक्रिया, दीवानी अथवा फौजदारी को नहीं दिया जा सकता है।

मलाईदार परत के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं हो सकते हैं

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में कहा है कि मलाईदार परत के रूप में पिछड़े समुदायों के वर्गों की पहचान के लिए आर्थिक मानदंड एकमात्र आधार नहीं होना चाहिए।

पृष्ठभूमि

- न्यायालय हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई दो अधिसूचनाओं को चुनौती देने वाली याचिका को सुन रहा था जिसमें पिछड़े वर्गों को एकमात्र आर्थिक आधार पर उप-वर्गीकृत किया गया था जब मलाईदार परत के लिए मानदंड निर्धारित किए गए।
- यह अधिसूचनाएं जिन्हें हरियाणा पिछड़ा वर्ग (सेवाओं और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण) कानून, 2016 के अंतर्गत जारी की गईं थीं, में कहा गया था कि वे पिछड़े समुदाय के सदस्य जो वार्षिक तौर पर रु. 6 लाख कमाते हैं, को मलाईदार परत के रूप में माना जाएगा।

न्यायालय का पर्यवेक्षण

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- 1992 के सर्वोच्च न्यायालय के इंद्रा साहनी निर्णय का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की एक खंडपीठ ने अपने निर्णय में यह कहा कि मलाईदार परत को हटाने का आधार केवल आर्थिक नहीं हो सकता है, जिसने घोषणा की थी कि किसी पिछड़े समुदाय में मलाईदार परत को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए जिससे ज्यादा पात्र लोग आगे आ सकें।
- न्यायालय ने यह भी कहा कि 'मलाईदार परत' में पिछड़े वर्गों के वे लोग आएंगे जो IAS, IPS और अखिल भारतीय सेवाओं जैसी उच्च सेवाओं में पदों को ग्रहण करते हैं। साथ ही वे लोग भी इसमें शामिल हैं जिन्होंने सामाजिक उन्नति एवं आर्थिक दर्जे के उच्च स्तर को हासिल कर लिया है इसलिए वे पिछड़े नहीं माने जा सकते हैं।

न्यायालय का निर्णय

- **सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि हरियाणा की अधिसूचना ने मलाईदार परत की केवल आय के आधार पर पहचान करके इंद्रा साहनी निर्णय में घोषित कानून का उल्लंघन किया है।**
- 2016 के कानून के अनुच्छेद 5(2) द्वारा मलाईदार परत की पहचान और अलग करने को सामाजिक, आर्थिक और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अनिवार्य करने के बावजूद, हरियाणा राज्य ने पिछड़े वर्गों से मलाईदार परत के निर्धारण को केवल आर्थिक मानदंड के आधार पर करने की कोशिश की है और ऐसा करके उसने गंभीर गलती की है। **न्यायालय ने निर्णय दिया और दोनों अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया।**
- **सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को तीन महीनों में नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।**

तमिलनाडु ने रु. 100 करोड़ की शहरी रोजगार योजना लागू की

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- शासन, स्रोत- द हिंदू)

खबरों में क्यों है?

- तमिलनाडु सरकार शहरी गरीबों के जीवनयापन में सुधार के लिए रु. 100 करोड़ की योजना शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) के अनुरूप ही लागू करेगी।

योजना के बारे में जानकारी

- अब तक यह पायलट योजना है और जल्दी ही सरकार योजना के अंतर्गत वेतन देने के लिए दिशा-निर्देशों को जारी कर देगी।
- वित्त वर्ष 2022 में, यह ग्रेटर चेन्नई निगम के दो क्षेत्रों में क्रियान्वित की जाएगी।
- यह योजना अन्य नगर निगमों के प्रत्येक एक क्षेत्र में, सात क्षेत्रीय नगर प्रशासन महानिदेशालय के अंतर्गत प्रत्येक एक म्युनिसपैलिटी में और 37 जिलों की प्रत्येक एक टाउन पंचायत में क्रियान्वित की जाएगी।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

- योजना के अंतर्गत, कामगारों का प्रयोग जल निकायों की सफाई और सार्वजनिक पार्कों और अन्य स्थानों के रखरखाव जैसी गतिविधियों में किया जाएगा।

उद्देश्य

- कार्यक्रम का उद्देश्य उन शहरी गरीबों को रोजगार देना है जिन्होंने कोविड-19 महामारी की वजह से अपनी नौकरियां खो दी हैं। इसकी अनुशंसा **पूर्व RBI गवर्नर सी. रंगराजन की अध्यक्षता वाली** समिति द्वारा की जाएगी।

इस परियोजना के पीछे कारण

- तमिलनाडु में तेजी से शहरी जनसंख्या बढ़ रही थी और 2036 तक यह कुल जनसंख्या की 60% हो जाएगी।
- एक अनुमान के अनुसार, कुल चार करोड़ लोग अब शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं, जो कुल जनसंख्या का 53% है।

MGNREGA के बारे में जानकारी

- यह लोगों की जीवनयापन की सुरक्षा को उन्नत करने के लिए एक वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के कार्य की गारंटी देता है।
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून, 2005 ने इस योजना को लागू किया था। 2010 में, NREGA को नया नाम MGNREGA दिया गया।
- यह कानून केवल 100% शहरी जनसंख्या वाले जिलों को छोड़कर सभी जिलों को कवर करता है।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय (MRD) राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करता है।

MGNREGA योजना के उद्देश्य

- इसका लक्ष्य उन कार्यों के द्वारा असाध्य गरीबी को सुलझाना है जो किये जाते हैं और सतत विकास को सुनिश्चित करते हैं।
- इस कानून को मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार के लिए लागू किया गया था, प्राथमिक रूप से अर्ध अथवा गैर-कुशल कार्य करने वाले वे लोग जो ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा के नीचे जीते हैं।
- इसका लक्ष्य इन कार्यों की योजना और क्रियान्वयन के लिए पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के विकेंद्रीकरण और सशक्तिकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाना भी है।

वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र II- अर्थशास्त्र, स्रोत-PIB)

खबरों में क्यों है?

- भारत हाल में वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और प्रभावी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से आगे निकलकर दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा वांछित विनिर्माण स्थान बन गया है।

वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के बारे में जानकारी:

- यह अंतरराष्ट्रीय विनिर्माण के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल स्थान पर आधारित है, कुशमैन एवं वेकफील्ड की विनिर्माण जोखिम सूचकांक रिपोर्ट कारकों की श्रृंखला के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करती है जिसमें निम्न शामिल हैं :
    - जोखिम और लागत कारक
    - राजनीतिक और आर्थिक जोखिम
    - बाजार की स्थितियां और श्रम लागत
    - बाजार तक पहुँच
- इस सूचकांक ने पूरे यूरोप, अमेरिका, और एशिया-प्रशांत में 47 देशों को रैंक प्रदान की।

<u>भारत को विनिर्माण स्थल के रूप में बढ़ावा देना</u>

- देश में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की महत्वाकांक्षा के साथ, इस वर्ष के पूर्व में, सरकार ने IT हार्डवेयर के उत्पादन करने के वास्ते कंपनियों के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों को लागू किया था।
- इसके अतिरिक्त, भारत सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से सुधारों को लागू कर रही है और इनमें कुछ प्रयास निम्न हैं:
    - दक्षिणपूर्व एशिया में सबसे कम, भारत ने कार्पोरेट कर को 30% से घटाकर 25% कर दिया है।
    - सरकार ने 'मेक इन इंडिया' और 'स्किल इंडिया' जैसी पहलों को लागू किया है जिन्होंने विनिर्माण क्षेत्र में नौकरी के अवसरों को सृजित करके एक मुकाम हासिल किया है।
    - आगे, इन पहलों से कौशल विकास में भी उन्नति हुई है जिससे कुशल मानव संसाधनों की बड़ी संख्या को सृजित किया जा सकता है।
    - पिछले कुछ वर्षों के दौरान भूमि अधिग्रहण के संबंध में नियमों में ढील दी गई है।
    - आयकर, GST और अन्य सीमाशुल्क राहतों ने उपयुक्त व्यवसाय की परिस्थितियों को उपलब्ध कराया है।

<u>GM सोया केक</u>

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- विज्ञान एवं तकनीक, स्रोत-PIB)

खबरों में क्यों है?

- भारत सरकार ने हाल में कुचले हुए और वितेलित GM सोया केक (निर्जीव जीव केवल) के आयात के लिए नियमों में छूट दे दी है।
- इस निर्णय का किसानों, पोल्ट्री किसानों और मछुआरों पर सकारात्मक प्रभाव होगा।

संबंधित सूचना

GM फसलों के बारे में जानकारी

- आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलें वे पौधे हैं जिनका प्रयोग कृषि में किया जाता है, जिनके डीएनए को आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रयोग करके संशोधित कर दिया गया है।
- इसका लक्ष्य पौधे में एक नया गुण डालना है जो प्रजातियों में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं।
- **आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC), भारत के आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों के लिए विनियामक है।**

आनुवंशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति (GEAC) के बारे में जानकारी

- यह एक सर्वोच्च निकाय है जिसका गठन पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। यह पर्यावरण संरक्षण कानून, 1986 के अंतर्गत 1989 के कोशिका अथवा खतरनाक सूक्ष्मजीवों/आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों के प्रयोग, आयात, निर्यात, भंडारण एवं विनिर्माण के नियमों के तहत है।
- यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन में खतरनाक सूक्ष्मजीवों और पुनःसंयोजक की बड़े पैमाने पर गतिविधियों को स्वीकृति देता है।
- यह पर्यावरण में आनुवंशिक रूप से इंजीनियर्ड जीवों और उत्पादों को छोड़ने से संबंधित प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए भी जिम्मेदार है जिसमें प्रयोगात्मक क्षेत्र परीक्षण (जैवसुरक्षा अनुसंधान स्तर परीक्षण I और II जिन्हें BRL-I और BRL-II कहते हैं) भी शामिल हैं।
- 1989 के नियम पांच घटक प्राधिकरणों को भी परिभाषित करते हैं अर्थात संस्थागत जैवसुरक्षा समितियां (IBSC), आनुवंशिक फेरबदल समीक्षा समिति (RCGM), आनुवंशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति (GEAC), राज्य जैवतकनीक समन्वयन समिति (SBCC) और नियमों के विभिन्न पहलुओं से निपटने के लिए जिला स्तर की समिति (DLC)।

भारत मौसम कार्रवाई के द्वारा 50 वर्षों में $11 ट्रिलियन हासिल कर सकता हैः डेलॉयट रिपोर्ट

(विषय- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र III- पर्यावरण, स्रोत-PIB)

खबरों में क्यों है?

- डेलॉयट अर्थशास्त्र संस्थान ने हाल में "इंडीयाज़ टर्निंग प्वाइंटः हाउ क्लाइमेट एक्शन कैन ड्राइव अवर इकोनॉमिक फ्यूचर" शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now

प्रमुख खास बातें

- भारत बढ़ते वैश्विक तामपानों को रोककर और दुनिया को बिकार्बनीकरण निर्यात करने की अपनी क्षमता को पूरी करके अगले 50 वर्षों में आर्थिक मूल्य में $11 ट्रिलियन प्राप्त कर सकता है।
- लेकिन, यदि भारत अभी मौसम परिवर्तन के प्रभावों के शमन के लिए कार्य नहीं करता है, तो वह आर्थिक क्षमता में $53 ट्रिलियन को खो सकता है जो 2070 तक उसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 12.7% के बराबर होंगे।

मौसम परिवर्तन की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले पांच उद्योग:

- ये उद्योग होंगे सेवा (सरकारी और निजी), विनिर्माण, खुदरा और पर्यटन, निर्माण, और परिवहन जिनका वर्तमान भारतीय GDP में 80% से ज्यादा का योगदान है।
- रिपोर्ट का अनुमान है कि 2070 तक केवल ये पांच उद्योग ही प्रति वर्ष $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा के GDP के मूल्यवर्धन में वार्षिक हानि सहन करेंगे।

Follow us on Telegram
Gradeup PCS & Other State Exams
Gradeup: PCS & State Exams
137K subscribers
Subscribe Now